रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1984/अश्विन 6, 1906
NO. 30] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1984/ASVINA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1984

का. नि. आ. 85 (अ) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, जलापहाड़ के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्द्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अतिरिक्त निदेश देती है कि 28 सितंबर, 1984 से छः माह की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा ।

[फाइल संख्या-29/69/सी/भू. व छा./66/5821/डी (क्यू. एण्ड.सी.]

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th September, 1984

S.R.O. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Jalapahar, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of six months with effect from the 28th September 1984 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29|69|C|L&C|66|5821|D(Q&C)]

का. नि. आ. 86(अ) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 85 है, दिनांक 28 सितम्बर, 1984 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1984 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को छावनी बोर्ड, जलापहाड़ के

सदस्य के रूप में 28 सितम्बर, 1984 से मनोनीत किया गया है :—

1. मेजर के. जी. वर्मा.—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित

2. के. बी. क्षेत्री.—धारा 14 की उपधारा (2) खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/69/सी/भू. व छा./66/5821/डी (क्यू. एण्ड. सी)]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

S.R.O. 86 (E) :—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 85-E dated the 28th September 84, published in the Government of India Extraordinary Gazette, Part II section 4 dated the 28th September, 1984, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated to be the members of the Cantenment Board, Jalapahar with effect from 28th September 1984.

1. Major K. G. Verma—nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.

2. Sh. K. B. Chhetri—nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No 29|69|C|L&C\66|5821|D(Q&C)]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984